विक्रम सिंह @विकी वालिया और अन्य

बनाम

पंजाब राज्य और अन्य

(आपराधिक एम. पी. सं. 16673-16674/2016 और 16675-16676/2016)

(समीक्षा याचिका (सी. आर. एल.) संख्या. 192-193/2011)

(आपराधिक अपील सं 1396-1397/2008)

07 जुलाई, 2017

[दीपक मिश्रा, आर. भानुमति और अशोक भूषण, जे. जे.]

भारत का संविधान-अनुच्छेद 137-उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा-तथ्यों के आधार पर, धारा 302,364 ए, 201 और 120 बी के तहत तीन लोगों को दोषी ठहराए जाने और मौत की सजा सुनाए जाने पर-उच्चतम न्यायालय ने दो लोगों की मौत की सजा को बरकरार रखा, हालांकि सह-आरोपी महिला की मौत की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया-समीक्षा याचिकाएं-आयोजितः इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि करते हुए, रिकॉर्ड पर कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं पाई-समीक्षा याचिका में उठाई गई दलीलें समीक्षा के लिए कोई आधार नहीं उठाती हैं-यह प्रस्तुत करना कि टेप रिकॉर्ड की गई

बातचीत पर धारा 65 बी के तहत कोई प्रमाण पत्र होने के बिना भरोसा किया गया था क्योंकि यह एक वैध सबूत नहीं है, स्वीकार नहीं किया जा सकता-टेप रिकॉर्ड की गई बातचीत द्वितीयक सबूत नहीं थी जिसके लिए धारा 65 बी के तहत प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी, क्योंकि यह धारा 65 बी के तहत प्रमाण पत्र था।

अनुच्छेद 137-समीक्षा की शक्ति-व्याख्या का दायरा और दायरा-अध्यादेश 40 नियम 1-सर्वोच्च न्यायालय नियम, 1966।

साक्ष्य अधिनियम, 1872-धारा 65 बी-इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता-टेप पर रिकॉर्ड की गई बातचीत-धारा 65 बी के तहत प्रमाण पत्र की आवश्यकता-आयोजितः इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के द्वितीयक साक्ष्य के प्रवेश के लिए एक प्रमाण पत्र जैसा कि धारा 65 बी द्वारा विचार किया गया है एक अनिवार्य शर्त है-टेप रिकॉर्ड की गई बातचीत मूल कैसेट थी जिसके द्वारा फिरौती कॉल को टेप-रिकॉर्ड किया गया था, इस प्रकार, द्वितीयक साक्ष्य नहीं जिसके लिए धारा 65 बी के तहत प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी।

समीक्षा आवेदनों को खारिज करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया *:*

1.1 इस न्यायालय के पास अपने फैसले की समीक्षा करने की संवैधानिक शक्ति है जैसा कि संविधान के अनुच्छेद *137* द्वारा दिया गया

है जो सर्वोच्च न्यायालय के नियम, 1966 के अधीन है। आदेश 40 के नियम 1 के अनुसार एक आपराधिक कार्यवाही में समीक्षा के लिए एक आवेदन पर विचार किया जा सकता है। रिकॉर्ड पर स्पष्ट त्रुटि। संविधान द्वारा इस न्यायालय को समीक्षा की शक्ति प्रदान करना सार्वभौमिक सिद्धांत की मान्यता है कि समीक्षा की शक्ति सभी न्यायिक प्रणाली का हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय नियम, 1966 के आदेश 40 का नियम 1 उस प्रक्रिया और तरीके का प्रावधान करता है जिसमें इस न्यायालय द्वारा समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। आदेश 40 के नियम 1 के अनुसार आपराधिक कार्यवाही में समीक्षा के लिए एक आवेदन पर रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटि के आधार पर विचार किया जा सकता है। हालाँकि इस न्यायालय को दी गई समीक्षा की शक्ति व्यापक है, लेकिन आम तौर पर और आमतौर पर किसी आपराधिक मामले में समीक्षा आदेश *40* के नियम 1 में बताए गए आधार पर होनी चाहिए। (पैरा 9, 10, 171 [183-ई-जी; 189-) सी, डीआई।

1.2 यह स्पष्ट है कि समीक्षा अधिकार क्षेत्र के दायरे, दायरे और मापदंडों को अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है। आम तौर पर एक आपराधिक कार्यवाही में, समीक्षा आवेदनों को रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटि के आधार के अलावा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, अनुच्छेद 137 के तहत इस न्यायालय को दी गई शक्ति व्यापक है और एक उचित मामले में एक प्रकट अन्याय को कम करने के लिए प्रयोग

किया जा सकता है। पुनरीक्षण आवेदन द्वारा एक आवेदक को उन आधारों पर अपील पर फिर से बहस करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जिन पर आपराधिक अपील की सुनवाई के समय आग्रह किया गया था। भले ही आवेदक यह स्थापित करने में सफल हो कि अभियुक्त की दोषसिद्धि या सजा पर एक और दृष्टिकोण संभव हो सकता है जो समीक्षा के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। यह न्यायालय समीक्षा करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग केवल तभी करेगा जब न्यायिक त्रुटि के कारण पहले के निर्णय में कोई स्पष्ट चूक या पेटेंट गलती हो गई हो। आदेश 40 नियम 1 के साथ पठित अनुच्छेद 137 के तहत समीक्षा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए न्याय की विफलता का कारण बनने वाले रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटि होनी चाहिए। अभिलेख के सामने एक भौतिक त्रुटि प्रकट होनी चाहिए जिसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होती है। [पैरा 21) (193-एच; 194-ए-सी)।

2.1 शिकायतकर्ता के लैंडलाइन फोन पर एक दुकान में हुई बातचीत शिकायतकर्ता द्वारा रिकॉर्ड की गई थी। वही कैसेट जिसमें बातचीत हुई थी, जिसके द्वारा लैंडलाइन फोन पर फिरौती की कॉल की गई थी, शिकायतकर्ता द्वारा मूल रूप से पुलिस को सौंप दी गई थी। इस अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जिस कैसेट पर लैंडलाइन पर बातचीत रिकॉर्ड की गई थी, उसे आर. वी. द्वारा एस. आई. को सौंप दिया गया था और टेप के रिप्ले पर, बातचीत स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी और पुलिस

द्वारा सुनी गई थी। टेप रिकॉर्ड की गई बातचीत गौण साक्ष्य नहीं थी जिसके लिए साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65 बी के तहत प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी, क्योंकि यह मूल कैसेट था जिसके द्वारा फिरौती कॉल को टेप-रिकॉर्ड किया गया था, इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के द्वितीयक साक्ष्य के प्रवेश के लिए धारा 65 बी द्वारा विचारित प्रमाण पत्र एक अनिवार्य शर्त है। [पैरा 23,24) [194-एफ-एच; 195-ए-बी)।

2.2 यह प्रस्तुत किया गया था कि मृत्यु क्लोरोफॉर्म की अधिक मात्रा और पेंटाज़ोसाइन विषाक्तता के कारण हुई थी, इसलिए, दोषसिद्धि आई. पी. सी. की धारा 304 ए के तहत होनी चाहिए थी न कि आई. पी. सी. की धारा 303 के तहत। अभिलेख पर पूरे साक्ष्य पर विचार करने के बाद आई. पी. सी. की धारा 302 और 364 ए के तहत आवेदकों के खिलाफ दोषसिद्धि दर्ज की गई। इस न्यायालय ने आपराधिक अपीलों को खारिज करते हुए और मृत्यु संदर्भ की पुष्टि करते हुए पूरे साक्ष्य की सराहना की और निचली अदालत और उच्च न्यायालय के फैसले को मंजूरी दी। आवेदक की दोषसिद्धि ठोस, नेत्र और चिकित्सा साक्ष्य पर आधारित थी और समीक्षा आवेदन में आवेदकों ने फिर से इस न्यायालय से साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने और एक अलग निष्कर्ष पर आने के लिए कहा। धारा 302 और 364 ए के तहत आवेदकों की दोषसिद्धि दर्ज करने में

रिकॉर्ड के चेहरे पर कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं है। [पैरा 25] [195-एच; 196-ए-सी)

2.3 यह निवेदन कि इस न्यायालय ने जे. एस. के प्रकटीकरण बयान पर भरोसा किया था, जिसके कारण शव की बरामदगी हुई, जो प्रकटीकरण बयान वी. एस. को अपराध से नहीं जोड़ता है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने नेत्र संबंधी साक्ष्य को तैयार किया जिसके द्वारा अपराध करने में वी. एस. की भूमिका विधिवत साबित हुई। अपीलार्थी के वकील का यह निवेदन कि चूंकि इस न्यायालय ने निर्णय में अभिलिखित किया है कि उक्त कारें अपीलार्थी की हैं, अपराध में उसकी दोषीता के संबंध में उंगलियों के निशान का अस्तित्व अपने आप में कोई महत्व नहीं हो सकता है; और यह कि उंगलियों के निशान पर भरोसा करके, इस न्यायालय ने रिकॉर्ड के सामने एक स्पष्ट त्रुटि की थी, गलत और गलत है। फैसले में इस अदालत ने कभी यह नहीं कहा कि ऑल्टो और शेवरले कारें अपीलार्थी की थीं। फैसले में दिए गए तथ्यों का बयान इस आशय का था कि ऑल्टो और शेवरले कारों से उंगलियों के निशान क्रमशः अपीलार्थियों के हैं। ऑल्टो कार के मालिक पी. डब्ल्यू. 3 का सबूत है, जिन्होंने अपने बयान में कहा था कि कार उनके द्वारा आवेदक-वी. एस. को उधार दी गई थी। यह किसी का मामला नहीं था कि ऑल्टो कार अपीलार्थी की थी। [पारस 26-28) [196-सी-डी, ई-जी; 197-बी)।

2.4 इस न्यायालय ने विभिन्न कम करने वाले और बढ़े हुए कारकों का उल्लेख किया और अपना निष्कर्ष दर्ज किया कि उच्च न्यायालय द्वारा बिगड़ती और कम करने वाली परिस्थितियों के बारे में बैलेंस-शीट तैयार की गई है जिसे इस न्यायालय द्वारा विधिवत अपनाया गया था। उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि करने में इस न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड पर कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं पाई गई है। पुनरीक्षण याचिकाओं में उठाई गई दलीलें इस न्यायालय के फैसले की पुनरीक्षण के लिए कोई आधार नहीं उठाती हैं। [पैरा 29,31) [197-ई, जी)।

मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक बनाम पंजीयक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय और अन्य, 2014 (9) एस. सी. सी. 737: (2014) 11 एस. सी. आर. 1009; सौ चंद्र कांटे और एक अन्य बनाम शेख है, (1975) 1 एस. सी. सी. 674; पी. एन. ईश्वर अय्यर और अन्य बनाम पंजीयक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय (1980) 4 एस. सी. सी. 680; सुथेन्द्रराजा उर्फ सुथेन्थिरा राजा उर्फ संथन और अन्य बनाम राज्य पुलिस अधीक्षक, सी. बी. आई., (1999) 9 धारा 323: (19991 3 सप्लीमेंट। एस. सी. आर. 540; लिली थॉमस और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2000) 6 एस. सी. सी. 224: (2000) 3 एस. सी. आर. 1081; देवेंद्र पाल सिंह बनाम राज्य, एन. सी. टी. दिल्ली और दूसरा (2003) 2 एस. सी. सी. 501: (2002) 5 सप्लीमेंट। एससीआर 332; कमलेश वर्मा बनाम मायवती और अन्य (2013) 8 एससीसी 320: (2013) 11 एससीआर 25; अनवर

पी. वी. बनाम पी. के. बशीर और अन्य, (2014) 10 एस. सी. सी. 473: (2014) 11 एस. सी. आर. 399; बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) 2 एस. सी. सी. 684; माची सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य, (1983) 3 एस. सी. सी. 470: [1983) 3 एस. सी. आर. 413-संदर्भित।

<u>मामला विधि संदर्भ</u>

[2014] 11 एससीआर 1009	संदर्भित	पैरा 1
[1975] 1 एससीसी 674	संदर्भित	पैरा 10
[1980] 4 एससीसी 680	संदर्भित	पैरा 11
[1999] 3 पूरक एससीआर 540	संदर्भित	पैरा 12
[2000] 3 एससीआर 1081	संदर्भित	पैरा 13
[2002] 5 पूरक एससीआर 332	संदर्भित	पैरा 15
[2013] 11 एससीआर 25	संदर्भित	पैरा 17
[2014] 11 एससीआर 399	संदर्भित	पैरा 23
[1980] 2 एससीसी 684	संदर्भित	पैरा 29
[1983] 3 एससीआर 413	संदर्भित	पैरा 29

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता : 2008 की आपराधिक अपील संख्या.1396-1397, 2011 की समीक्षा याचिका (आपराधिक) संख्या 192-

193 में 2016 की आपराधिक विविध याचिका संख्या 16673-16674 और 2016 की आपराधिक विविध संख्या 16675-16676

आपराधिक अपील सं. 105-डी. बी./2007 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 30.05.2008 के निर्णय और आदेश से।

के. टी. एस. तुलसी, वरिष्ठ अधिवक्ता, त्रिपुरारी रे, बी. एस. बिल्लौरिया, राज कमल, सुश्री पल्लवी मल्होत्रा, विजय प्रताप सिंह, सुश्री अंबिका, सुश्री शिल्पा सिंह, आबिद बशीर, एस. के. शर्मा, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

वी. मधुकर, ए. ए. जी., सुश्री अन्विता काउशीश, सुश्री लुबना नाज, 'कुलदिप सिंह, अभिषेक सिंह, राहुल शुआम भंडारी, सर्वेश सिंह, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय अशोक भूषण, जे. द्वारा सुनाया गया-

1. देरी को माफ कर दिया गया। ये आपराधिक विविध याचिकाएं आवेदकों द्वारा मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक बनाम पंजीयक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय और अन्य, 2014 (9) एस. सी. सी. 737 में संविधान पीठ के फैसले के आधार पर 2008 की आपराधिक अपील में 2016 की समीक्षा याचिका (आपराधिक) संख्या .1396-1397 को फिर से खोलने के लिए दायर की गई हैं, जिसके द्वारा उन याचिकाकर्ताओं को निर्णय की

स्वतंत्रता दी गई थी, जिनके इस न्यायालय के फैसले की समीक्षा करने के आवेदनों में मौत की सजा की पुष्टि की गई थी, जिन्हें प्रचलन द्वारा खारिज कर दिया गया था, लेकिन मौत की सजा को निष्पादित नहीं किया गया था।

2. दोनों याचिकाकर्ताओं विक्रम सिंह उर्फ विक्की वालिया और जसवीर सिंह उर्फ जस्सा पर आईपीसी की धारा302,364 ए, 201 और 120 बी के तहत अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था। निचली अदालत ने 20 दिसंबर, 2016 के अपने फैसले के माध्यम से दोनों आवेदकों के साथ-साथ एक श्रीमती को भी दोषी ठहराया। जसवीर सिंह की पत्नी सोनिया ने आई. ए. आई. पी. सी. की धारा302 और 364 के तहत तीनों अभियुक्तों को मौत की सजा सुनाई। सत्र न्यायाधीश, होशियारपुर के फैसले के खिलाफ सभी अभियुक्तों द्वारा 2007 की आपराधिक अपील डी. बी. उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी। सत्र न्यायाधीश द्वारा मृत्युदंड की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष 2007 का हत्या संदर्भ संख्या 1 भी प्रस्तुत किया गया था। 2007 की हत्या संदर्भ संख्या 1 के साथ-साथ 2007 की आपराधिक अपील संख्या 105-डी. बी. दोनों की सुनवाई उच्च न्यायालय के दिनांक 30.05.2008 के एक सामान्य निर्णय द्वारा की गई और उनका निपटारा किया गया। उच्च न्यायालय ने 2007 के हत्या संदर्भ संख्या 1 को स्वीकार कर लिया और निचली अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा की पुष्टि की जिसके परिणामस्वरूप आपराधिक अपील संख्या

105-डी. बी./2007 को खारिज कर दिया गया। अभियुक्तों द्वारा 2008 की आपराधिक अपील 30.05.2008-1397 दिनांकित उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर दायर किया गया था। इस अदालत ने आपराधिक अपीलों पर सुनवाई की। इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने अपने दिनांक 1 के फैसले में विक्रम सिंह और जसवीर सिंह की आपराधिक अपीलों को खारिज कर दिया, जबकि श्रीमती को मौत की सजा सुनाई गई। तीसरे आरोपी सोनिया को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। विक्रम सिंह और जसवीर सिंह ने 2011 की समीक्षा याचिका (आपराधिक) Nos.192-193 दायर की, जिसे दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिनांकित 20.04.2011 के आदेश के माध्यम से प्रसारित करके खारिज कर दिया गया था, जिसने देरी के साथ-साथ गुण-दोष के आधार पर आपराधिक अपीलों की सुनवाई की थी। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि 2016 के मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक (ऊपर) आपराधिक एम पी.संख्या 16673-16674 और 2016 के 16675-16676 में इस अदालत के संविधान पीठ के फैसले के बाद आवेदकों द्वारा 2011 की समीक्षा याचिका (आपराधिक) संख्या.192-193 को फिर से खोलने के लिए दायर किया गया था।

3. पक्षों के विद्वान वकीलों को 2011 की समीक्षा याचिका (आपराधिक) संख्या 192-193 के समर्थन में 24.1 0.2016 पर अपनी मौखिक दलीलें प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी।

4. हमने विक्रम सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री के. टी. एस. तुलसी को सुना है, जबकि श्री त्रिपुरारी रे को आवेदक संख्या 2 की ओर से सुना गया है। पंजाब और हरियाणा राज्य की ओर से अपर महाधिवक्ता श्री वी. मधुकर और शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान वकील सुश्री अन्विता काउशीश को सुना गया है।

5. आवेदक अपनी समीक्षा याचिकाओं द्वारा इस न्यायालय के दिनांक 25.01.2010 के फैसले की समीक्षा की मांग कर रहे हैं, जिसके द्वारा आवेदकों द्वारा दायर आपराधिक अपीलों को खारिज कर दिया गया था और निचली अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई अपीलों को खारिज करके बनाए रखा गया था।

6. इससे पहले कि हम पुनरीक्षण याचिकाओं की जांच करने के लिए आगे बढ़ें, इस न्यायालय के पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के दायरे, दायरे और मापदंडों पर ध्यान देना आवश्यक है।

7. भारत के संविधान के अनुच्छेद 137 में निम्नलिखित शब्दों में इस न्यायालय के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा का प्रावधान हैः

"137. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा-संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों या अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए किसी भी नियम के अधीन, सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा घोषित किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति होगी। "

8. उच्चतम न्यायालय नियम, 1966 का आदेश 40 समीक्षा से संबंधित है, जिसका नियम 1 प्रदान करता हैः

"1. न्यायालय अपने निर्णय या आदेश की समीक्षा कर सकता है, लेकिन संहिता के आदेश 47 नियम 1 में उल्लिखित आधार को छोड़कर सिविल कार्यवाही में और अभिलेख के सामने स्पष्ट त्रुटि के आधार को छोड़कर आपराधिक कार्यवाही में समीक्षा के लिए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। "

9. इस न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 137 द्वारा दिए गए अपने फैसले की समीक्षा करने की संवैधानिक शक्ति है जो संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए किसी भी नियम के प्रावधानों के अधीन है। अनुच्छेद 145 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने नियम, 1966 बनाए हैं जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। आदेश 40 के नियम 1 के अनुसार आपराधिक कार्यवाही में समीक्षा के लिए एक आवेदन पर रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटि के आधार पर विचार किया जा सकता है।

10. संविधान द्वारा इस न्यायालय को समीक्षा की शक्ति प्रदान करना इस सार्वभौमिक सिद्धांत की मान्यता में है कि समीक्षा की शक्ति सभी न्यायिक प्रणालियों का हिस्सा है। उच्चतम न्यायालय नियम, 1966 के आदेश 40 का नियम 1 उस प्रक्रिया और तरीके का प्रावधान करता है

जिसमें इस न्यायालय द्वारा समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। इस न्यायालय की समीक्षा की शक्ति का दायरा और दायरा इस न्यायालय के समक्ष बार-बार विचार के लिए आया है। न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने सौ चंद्र कांटे और एक अन्य बनाम शेख है, (1975) 1 एससीसी674 में कहा कि इस न्यायालय के फैसले की समीक्षा करना खेल के नियमों के अधीन है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इस न्यायालय की समीक्षा अधिकारिता के दायरे और दायरे की व्याख्या करते हुए निम्नलिखित कहा गया थाः

"किसी निर्णय की समीक्षा एक गंभीर कदम है और इसके लिए अनिच्छुक सहारा केवल तभी उचित है जब एक स्पष्ट चूक या पेटेंट गलती या ऐसी गंभीर त्रुटि पहले न्यायिक विफलता के कारण हुई हो। अलग-अलग सलाह के माध्यम से, पुराने और खारिज किए गए तर्कों की केवल पुनरावृत्ति, अप्रभावी रूप से ढके हुए आधार या असंगत महत्व की छोटी गलतियों पर दूसरी यात्रा स्पष्ट रूप से अपर्याप्त है। "

11. जैसा कि ऊपर देखा गया है, हालांकि आदेश 40 का नियम 1 अभिलेख के सामने स्पष्ट त्रुटि के आधार को छोड़कर आपराधिक कार्यवाही में समीक्षा आवेदन दायर करने पर रोक लगाता है। इस न्यायालय की संविधान पीठ के पास पी. एन. ईश्वर अय्यर और अन्य बनाम पंजीयक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, (1980) 4 एस. सी. सी. 680 में समीक्षा

अधिकार क्षेत्र के दायरे और दायरे पर फिर से विचार करने का अवसर है। उपरोक्त मामले में 1978 में संशोधित आदेश 40 नियम 3 को चुनौती दी गई थी। उपरोक्त संदर्भ में इस न्यायालय के पास समीक्षा अधिकार क्षेत्र की रूपरेखा पर विचार करने का अवसर था और न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर के माध्यम से बोलते हुए संविधान पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि हालांकि आदेश 40 नियम 1 आपराधिक कार्यवाही के आधार को रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटियों तक सीमित करता है, लेकिन अनुच्छेद 137 में समीक्षा करने की शक्ति व्यापक है और नियमों के निर्माताओं ने कभी भी आपराधिक आदेशों या निर्णयों पर प्रतिबंधात्मक समीक्षा का इरादा नहीं रखा। पैराग्राफ 34 और 35 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया थाः

"34. यह नियम, अपने चेहरे पर, दीवानी कार्यवाही में आदेशों की समीक्षा के लिए आधारों का एक व्यापक सेट प्रदान करता है, लेकिन आपराधिक कार्यवाही के आधार को "रिकॉर्ड के चेहरे पर स्पष्ट त्रुटियों" तक सीमित करता है। यदि बिल्कुल भी हो, तो न्यायिक त्रुटि से बचने के लिए कानून की चिंता तब बढ़नी चाहिए जब जीवन या स्वतंत्रता खतरे में हो क्योंकि नागरिक दंड अक्सर कम दर्दनाक होते हैं। इसलिए, यह मान लेना उचित है कि नियमों के निर्माता आपराधिक आदेशों या निर्णयों पर प्रतिबंधात्मक समीक्षा का इरादा नहीं रख सकते थे। इसके विपरीत होने की संभावना है। मान लीजिए कि एक आरोपी को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौत की सजा सुनाई जाती है और "मृतक" अदालत में दिखाई देता है और

अदालत को दर्ज की गई गवाही के दुखद विश्वासघात का पता चलता है। क्या अदालत फांसी की सजा की समीक्षा करने और उसे रद्द करने में असहाय है? हम नहीं सोचते हैं। पुनरीक्षण की शक्ति अनुच्छेद 137 में है और यह सभी कार्यवाहियों में समान रूप से व्यापक है। नियम केवल बिजली के भंडार से प्रवाह को प्रवाहित करता है। धारा स्रोत को दबा नहीं सकती है। इसके अलावा, व्याख्या की गतिशीलता संदर्भ की मांग और परीक्षण की शाब्दिक सीमाओं पर निर्भर करती है। यहाँ "अभिलेख" का अर्थ है कोई भी सामग्री जो पहले से ही अभिलेख में है या अदालत की अनुमति से अभिलेख पर लाई जा सकती है। यदि न्याय न्यायाधीशों को किसी महत्वपूर्ण सामग्री की अनुमति देने के लिए बुलाता है, तो यह रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है और यदि स्पष्ट त्रुटि है, तो सुधार आवश्यक हो जाता है। "

35. उद्देश्य सादा है, भाषा लोचदार है और एक आवश्यक शक्ति की व्याख्या स्वाभाविक रूप से विस्तृत होनी चाहिए। मूल शक्ति अनुच्छेद 137 से प्राप्त की गई है और दीवानी कार्यवाही के रूप में आपराधिक के लिए व्यापक है। यहां तक कि नियम में वाक्यांश विज्ञान में अंतर (आदेश 40 नियम 2) को भी उसी क्षेत्र को शामिल करने के लिए पढ़ा जाना चाहिए न कि विसंगति के कृत्रिम विचलन को उत्पन्न करने के लिए। यदि अभिव्यक्ति "अभिलेख" का अर्थ पढ़ा जाता है, तो इसके अर्थगत विस्तार में, अदालत की अनुमति के साथ बाद में भी अभिलेख पर लाई गई किसी

भी सामग्री में, यह बाद की घटनाओं, नए प्रकाश और अन्य आधारों को शा

मिल करेगा जो हम आदेश 47 नियम 1, सी. पी. सी. में पाते हैं। जब एक ही स्रोत से समीक्षा शक्ति का उपयोग किया जाता है तो हम दीवानी और आपराधिक कार्यवाही में क्षेत्र की बराबरी करने में कोई अपूरणीय कठिनाई नहीं देखते हैं।

12. इस न्यायालय ने बाद के निर्णयों में यह भी देखा है कि पी. एन. ईश्वर (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने पुलिस अधीक्षक, सी. बी. आई. (1999) 9 एस. सी. सी. 323, न्यायमूर्ति डी. पी. वाधवा के माध्यम से सुथेन्द्रराज उर्फ सुथेन्थिरा राजा उर्फ संथन और अन्य बनाम राज्य मामले में आपराधिक कार्यवाही में समीक्षा का दायरा काफी बढ़ा दिया है।

"5. यह देखा जाएगा कि आपराधिक कार्यवाही में समीक्षा का दायरा उपरोक्त निर्णय में की गई घोषणा से काफी बढ़ गया है। किसी भी मामले में समीक्षा अपील की दोबारा सुनवाई नहीं है और समीक्षा याचिका को बनाए रखने के लिए इसे करना होगा दिखाया जाए कि न्याय का गर्भपात हुआ है। बेशक, "न्याय का गर्भपात" की अभिव्यक्ति सर्वव्यापी है..."

13. पुनः लिली थॉमस और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, (2000) 6 एस. सी. सी. 224 में दो-न्यायाधीशों की पीठ को इस

न्यायालय के समीक्षा अधिकार क्षेत्र के दायरे पर विचार करने का अवसर मिला। पैराग्राफ 52 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया थाः

"52. "समीक्षा" शब्द का शब्दकोश अर्थ है "सुधार या सुधार की दृष्टि से कुछ फिर से देखने, पेश करने का कार्य"। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि समीक्षा एक क़ानून का निर्माण है। पटेल नरशी ठाकेरी बनाम प्रद्युम्नसिंहजी अर्जुनसिंहजी,-(1971) 3 एस. सी. सी. 844 में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि समीक्षा की शक्ति एक अंतर्निहित शक्ति नहीं है। यह कानून द्वारा या तो विशेष रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। समीक्षा भी छद्म रूप में एक अपील नहीं है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि न्याय एक ऐसा गुण है जो सभी बाधाओं को पार करता है और कानून के नियम या प्रक्रियाएं या तकनीकीताएं न्याय के प्रशासन के रास्ते में नहीं आ सकती हैं। कानून को न्याय के सामने झुकना होगा। यदि न्यायालय को पता चलता है कि पुनरीक्षण याचिका में बताई गई त्रुटि एक गलती के तहत थी और पहले का निर्णय पारित नहीं किया गया होता, लेकिन गलत धारणा के लिए जो वास्तव में मौजूद नहीं थी और इसके अपराध के परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होगी, तो कुछ भी न्यायालय को त्रुटि को सुधारने से नहीं रोकता। एस. नागराज बनाम कर्नाटक राज्य 1993 सप्लीमेंट (4) एस. सी. सी. 595 में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः (एस. सी. सी. पीपी. 619-20, पैरा 19)

"19. शाब्दिक रूप से और यहां तक कि न्यायिक रूप से समीक्षा का अर्थ है पुनः परीक्षा या पुनर्विचार। इसमें अंतर्निहित बुनियादी दर्शन मानव दोषपूर्णता की सार्वभौमिक स्वीकृति है। फिर भी कानून के क्षेत्र में अदालतें और यहां तक कि कानून भी कानूनी और उचित रूप से किए गए निर्णय की अंतिमता के पक्ष में दृढ़ता से झुकते हैं। आकस्मिक गलतियों या न्याय की विफलता को ठीक करने के लिए वैधानिक और न्यायिक दोनों तरह के अपवाद बनाए गए हैं। यहां तक कि जब कोई वैधानिक प्रावधान नहीं था और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई नियम नहीं बनाए गए थे, जो उन परिस्थितियों का संकेत देते थे जिनमें वह अपने आदेश को सुधार सकता था, तब भी अदालतों ने प्रक्रिया के दुरुपयोग या न्याय की विफलता से बचने के लिए ऐसी शक्ति को समाप्त कर दिया। राजा पृथ्वी चंद लाल चौधरी बनाम सुखराज राय ए. आई. आर. 1941 एफ. सी. 1 में न्यायालय ने कहा कि भले ही उच्चतम न्यायालय को अपने आदेश की समीक्षा करने की अनुमति देने के लिए कोई नियम नहीं बनाए गए थे, फिर भी यह प्रिवी काउंसिल और हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा विकसित सीमित और संकीर्ण आधार पर उपलब्ध था। न्यायालय ने नारायण राय बनाम बिजय गोविंद सिंह, (1836) 1 मू पी. सी. 117:2 एम. आई. ए. 181 के तहत राज में प्रिवी काउंसिल द्वारा निर्धारित सिद्धांत को मंजूरी दी, कि न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश अंतिम था और इसे बदला नहीं जा सकता थाः

' ... फिर भी, यदि निर्णयों को मूर्त रूप देने में गलती से, त्रुटियां पेश की गई हैं, तो इन न्यायालयों के पास, सामान्य कानून द्वारा, वही शक्ति है जो अभिलेख और कानून की अदालतों के पास गलतियों को सुधारने की है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपने स्वयं के निर्णय तैयार करने में की गई गलतियों को सुधारने की समान शक्ति का प्रयोग करता है, और इस न्यायालय के पास वही अधिकार होना चाहिए। हालाँकि, प्रभु एक कदम आगे बढ़ गए हैं, और निर्णयों के विवरण में असावधानी के माध्यम से की गई गलतियों को ठीक किया है; या आदेशों को लागू करने में सक्षम बनाने के लिए स्पष्ट दोष प्रदान किए हैं, या व्याख्यात्मक मामले जोड़े हैं, या विसंगतियों को सुलझा लिया है।

शक्ति के प्रयोग का आधार उसी निर्णय में बताया गया था जो नीचे दिया गया हैः

'इस बात पर संदेह करना असंभव है कि ऐसे मामलों में अनुग्रह मुख्य रूप से अंतिम उपाय की अदालत द्वारा किए जा रहे अपरिवर्तनीय अन्याय को रोकने के लिए प्रचलित स्वाभाविक इच्छा के कारण है, जहां किसी दुर्घटना से, बिना किसी दोष के, पक्ष को नहीं सुना गया है और एक आदेश अनजाने में किया गया है जैसे कि पक्ष को सुना गया था। '

इस प्रकार किसी आदेश का सुधार इस मौलिक सिद्धांत से उत्पन्न होता है कि न्याय सबसे ऊपर है। इसका प्रयोग त्रुटि को दूर करने के लिए

किया जाता है न कि अंतिमता को परेशान करने के लिए। जब संविधान बनाया गया था तो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को सुधारने या वापस लेने की मूल शक्ति विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 137 द्वारा प्रदान की गई थी। हमारे संविधान निर्माता, जिनके पास इस तरह के प्रावधान की प्रभावशीलता की कल्पना करने का व्यावहारिक ज्ञान था, उन्हें स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 137 द्वारा किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की ठोस शक्ति प्रदान की गई। और अनुच्छेद 145 के खंड (सी) ने इस न्यायालय को उन शर्तों के बारे में नियम बनाने की अनुमति दी जिनके अधीन किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा की जा सकती है। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए आदेश एक्सएल को इस न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 4 7 नियम 1 के अनुरूप आधारों पर दीवानी कार्यवाही में एक आदेश की समीक्षा करने का अधिकार दिया गया था। खंड में 'किसी अन्य पर्याप्त कारण के लिए' अभिव्यक्ति को एक विस्तारित अर्थ दिया गया है और परिस्थितियों की वास्तविक स्थिति की गलत समझ के तहत पारित एक डिक्री या आदेश को शक्ति का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त आधार माना गया है। उच्चतम न्यायालय के आदेश XL नियम 1 के अलावा इस न्यायालय के पास ऐसे आदेश देने की अंतर्निहित शक्ति है जो न्याय के हित में या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। इस प्रकार न्यायालय

अपने स्वयं के आदेश को वापस लेने या समीक्षा करने से वंचित नहीं है यदि वह संतुष्ट है कि न्याय के लिए ऐसा करना आवश्यक है। “

केवल यह तथ्य कि एक ही विषय पर दो विचार संभव हैं, एक ही शक्ति की पीठ द्वारा पारित पहले के फैसले की समीक्षा करने का कोई आधार नहीं है।

14. यह भी माना गया कि एक ही विषय पर केवल दो विचारों की संभावना समीक्षा का आधार नहीं है। पैराग्राफ 56 में निम्नलिखित कहा गया थाः

"56. अतः, समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किसी गलती को सुधारने के लिए किया जा सकता है, लेकिन किसी दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं। ऐसी शक्तियों का प्रयोग शक्ति के प्रयोग से संबंधित क़ानून की सीमाओं के भीतर किया जा सकता है। समीक्षा को छद्म रूप में अपील के रूप में नहीं माना जा सकता है। इस विषय पर केवल दो विचारों की संभावना समीक्षा का आधार नहीं है..."

15. इसके अलावा देवेंद्र पाल सिंह बनाम राज्य, दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और एक अन्य मामले (2003) 2 एस. सी. सी. 501 में, न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत ने इस न्यायालय के पहले के सभी प्रासंगिक निर्णयों का उल्लेख करने के बाद इस न्यायालय के समीक्षा अधिकार क्षेत्र

के दायरे और दायरे की विस्तार से जांच की। पैराग्राफ 11 में निम्नलिखित कहा गया थाः

"11. यद्यपि आपराधिक कार्यवाहियों में पुनरीक्षण का दायरा काफी हद तक बढ़ाया गया है, संवैधानिक पीठ द्वारा कानून के उपरोक्त स्पष्टीकरण को देखते हुए, किसी भी मामले में पुनरीक्षण अपील की फिर से सुनवाई नहीं है, और जैसा कि पुनरीक्षण याचिका को बनाए रखने के लिए सुथेंद्रराज में देखा गया था, यह दिखाना होगा कि न्याय की विफलता है। यद्यपि "न्याय की विफलता" अभिव्यक्ति का विस्तार व्यापक है, लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि हस्तक्षेप का दायरा बहुत सीमित है। "

16. यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि समीक्षा का सहारा लेना केवल तभी उचित है जब न्यायिक त्रुटि द्वारा पूर्व निर्णय में कोई चूक या पेटेंट गलती या ऐसी गंभीर त्रुटि हुई हो। पैराग्राफ 16 में निम्नलिखित कहा गया हैः

"16. जैसा कि इस न्यायालय ने कर्नल अवतार सिंह सेखों बनाम भारत संघ मामले में कहा था। 1980 एस. सी. सी. 562, समीक्षा एक नियमित प्रक्रिया नहीं है। पूर्ववर्ती आदेश की समीक्षा की अनुमति तब तक नहीं है जब तक कि न्यायालय का यह समाधान नहीं हो जाता है कि आदेश के सामने प्रकट होने वाली भौतिक त्रुटि इसकी दृढ़ता को कम करती है या इसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होती है। एक मामले में

निर्णय की समीक्षा एक गंभीर कदम है और इसके लिए अनिच्छुक सहारा केवल तभी उचित है जब एक स्पष्ट चूक या पेटेंट गलती या गंभीर त्रुटि जैसी न्यायिक विफलता से पहले हुई हो। समीक्षा का चरण एक विशुद्ध आधार नहीं है, बल्कि एक पूर्व आदेश की समीक्षा है जिसमें अंतिमता की सामान्य विशेषता है। "

17. जैसा कि आदेश 40 नियम 1 के तहत ऊपर उल्लेख किया गया है, समीक्षा के लिए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता है, सिवाय रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटि के आधार पर। हालाँकि, इस न्यायालय को दी गई समीक्षा की शक्ति व्यापक है जैसा कि पी. एन. ईश्वर (ऊपर) में संविधान पीठ द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने एक उदाहरण दिया है जिसमें न्यायालय उस मामले में समीक्षा करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने में संकोच नहीं करेगा जहां मृतक स्वयं उस न्यायालय में जाता है जिसके हत्या के अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया था। न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने ठीक ही कहा कि न्यायालय ऐसे मामले में न्याय करने के लिए शक्तिहीन नहीं है। इस प्रकार, हालांकि इस न्यायालय को दी गई समीक्षा की शक्ति व्यापक है, लेकिन सामान्य रूप से और सामान्य रूप से एक आपराधिक मामले में समीक्षा आदेश 40 के नियम 1 में उल्लिखित आधारों पर होनी चाहिए।

18. जो "अभिलेख के सामने एक स्पष्ट त्रुटि" है, वह भी इस न्यायालय द्वारा बड़ी संख्या में मामलों में विचार का विषय रहा है। किन आधारों पर यह न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेगा और इस न्यायालय द्वारा कमलेश वर्मा बनाम मायवती और अन्य, (1013) 8 एस. सी. सी. 320 (जिस मामले में हममें से एक दीपक मिश्रा, जे. भी एक पक्षकार थे) में विचार किए जाने के लिए रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटि क्या है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक त्रुटि जो स्वयं स्पष्ट नहीं है और जिसे तर्क की प्रक्रिया द्वारा पता लगाया जाना है, रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटि नहीं है। पैराग्राफ 15 और 16 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया थाः

"15. एक त्रुटि जो स्वयं स्पष्ट नहीं है और जिसे तर्क की प्रक्रिया द्वारा पता लगाया जाना है, उसे शायद ही रिकॉर्ड के सामने एक स्पष्ट त्रुटि कहा जा सकता है जो अदालत को अपनी समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने के लिए उचित ठहराती है। एक समीक्षा किसी भी तरह से एक छद्म अपील नहीं है जिसमें एक गलत निर्णय की फिर से सुनवाई और सुधार किया जाता है, लेकिन केवल पेटेंट त्रुटि के लिए निहित है। पारसन देवी बनाम सुमितरी देवी 1997 (8) एस. सी. सी. 715 में इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः (एस. सी. सी. पीपी. 718-19, पैरा 7-9)।

"7. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि समीक्षा कार्यवाही को आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के दायरे और दायरे तक ही सीमित रखना होगा। तुंगभद्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम ए. पी. ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1372 की सरकार में, इस न्यायालय ने राय दीः (ए. आई. आर. पेज 1377, पैरा 11)/

'11. हालाँकि, अब हम जिस बात से चिंतित हैं, वह यह है कि क्या सितंबर 1959 के आदेश में दिया गया बयान कि मामले में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल नहीं था, एक "रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटि" है। तथ्य यह है कि पहले के अवसर पर अदालत ने तथ्यों की एक समान स्थिति पर निर्णय दिया था कि कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है, जो स्वयं निर्णायक नहीं होगा, क्योंकि पहले का आदेश ही गलत हो सकता है। इसी तरह, भले ही कथन गलत था, यह नहीं होगा कि यह एक "रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटि" थी, क्योंकि एक अंतर है जो वास्तविक है, हालांकि यह हमेशा व्याख्या करने में सक्षम नहीं हो सकता है, केवल एक गलत निर्णय और एक निर्णय के बीच जिसे "स्पष्ट त्रुटि" द्वारा दूषित किया जा सकता है। एक समीक्षा किसी भी तरह से छद्म रूप में एक अपील नहीं है जिसमें एक गलत निर्णय की फिर से सुनवाई और सुधार किया जाता है, लेकिन केवल पेटेंट त्रुटि के लिए निहित है।

8. पुनः, मीरा भान्जा बनाम निर्मला कुमारी चौधरी 1995 (आई) एस. सी. सी. 170 में, अरिबम तुलेश्वर शर्मा बनाम अरिबम पिशक शर्मा 1979 (4) एस. सी. सी. 389 के एक अंश को अनुमोदन के साथ उद्धृत करते हुए, इस न्यायालय ने एक बार फिर कहा कि समीक्षा कार्यवाही अपील के माध्यम से नहीं है और इसे आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के दायरे और दायरे तक सख्ती से सीमित किया जाना चाहिए।

9. आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के तहत एक निर्णय अन्य बातों के साथ-साथ समीक्षा के लिए खुला हो सकता है यदि रिकॉर्ड के सामने कोई गलती या त्रुटि स्पष्ट है। एक त्रुटि जो स्वयं स्पष्ट नहीं है और जिसे तर्क की प्रक्रिया द्वारा पता लगाया जाना है, उसे शायद ही रिकॉर्ड के सामने एक स्पष्ट त्रुटि कहा जा सकता है जो अदालत को आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के तहत समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए उचित ठहराती है। आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए किसी गलत निर्णय की फिर से सुनवाई और सुधार की अनुमति नहीं है। एक समीक्षा याचिका, यह याद रखना चाहिए कि इसका एक सीमित उद्देश्य होता है और इसे 'भेष बदलकर अपील' करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(मूल में जोर)

16. नियम के तहत विचार की गई त्रुटि ऐसी होनी चाहिए जो रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट हो न कि एक त्रुटि जिसे खोजना और खोजना हो। यह असावधानी की गलती होनी चाहिए। समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किसी गलती को सुधारने के लिए किया जा सकता है, लेकिन किसी दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं। इस विषय पर केवल दो विचारों की संभावना समीक्षा का आधार नहीं है।

19. पैराग्राफ 17 और 18 में समीक्षा क्षेत्राधिकार के मापदंडों के बारे में विस्तार से बताया गया हैः

"17. एक समीक्षा याचिका में, यह अदालत के लिए सबूत की पुनः सराहना करने और एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए खुला नहीं है, भले ही वह संभव हो। साक्ष्य के मूल्यांकन पर आए निष्कर्ष पर पुनर्विचार याचिका में तब तक हमला नहीं किया जा सकता जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि रिकॉर्ड के सामने या उसके समान किसी कारण से कोई त्रुटि स्पष्ट है। केरल एस. ई. बी. बनाम हाइटेक इलेक्ट्रोथर्मिक्स एंड हाइड्रोपावर लिमिटेड 2005 (6) एस. सी. सी. 651 में इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः (एस. सी. सी. पृष्ठ 656, पैरा 10)।"

"10 . ... पुनरीक्षण याचिका में यह न्यायालय के लिए साक्ष्य की पुनः समीक्षा करने और एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए खुला नहीं है, भले ही वह संभव हो। बोर्ड के विद्वान वकील ने सबसे अच्छा हमें

प्रभावित करने की कोशिश की कि पक्षों के बीच आदान-प्रदान किया गया पत्राचार इस न्यायालय द्वारा किए गए निष्कर्ष का समर्थन नहीं करता है। हमें डर है कि इस तरह के निवेदन को पुनर्विचार याचिका में आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अभिलेख पर साक्ष्य का मूल्यांकन पूरी तरह से अपीलीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर है. यदि प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर, न्यायालय तथ्य के निष्कर्ष को दर्ज करता है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है, तो उस निष्कर्ष पर समीक्षा याचिका में तब तक हमला नहीं किया जा सकता जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि अभिलेख के सामने या उसके समान किसी कारण से कोई त्रुटि स्पष्ट है. हमारे सामने यह तर्क नहीं दिया गया है कि अभिलेख के सामने कोई त्रुटि स्पष्ट है। पुनरीक्षण याचिकाकर्ता को साक्ष्य की सराहना के प्रश्न पर बहस करने की अनुमति देना एक पुनरीक्षण याचिका को छद्म रूप में अपील में परिवर्तित करने के बराबर होगा। "

18. समीक्षा किसी मूल विषय की पुनः सुनवाई नहीं है। समीक्षा की शक्ति को अपीलीय शक्ति के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता है जो एक उच्च न्यायालय को एक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई सभी त्रुटियों को सुधारने में सक्षम बनाता है। पुराने और खारिज किए गए तर्क की पुनरावृत्ति निष्कर्षित निर्णयों को फिर से खोलने के लिए पर्याप्त नहीं है। जैन स्टूडियो लिमिटेड बनाम शिन सैटेलाइट पब्लिक कंपनी लिमिटेड,

(2006) 5 एस. सी. सी. 501 में यह न्यायालय निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित करता हैः (एस. सी. सी. पीपी.) 504-505, पैरा 11-12)।

"11. जहाँ तक गुण-दोष पर आवेदक की शिकायत का संबंध है, प्रतिद्वंद्वी के विद्वान वकील का यह कहना सही है कि वस्तुतः आवेदक वही राहत चाहता है जो मुख्य मामले पर बहस करते समय मांगी गई थी और जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। एक बार इस तरह की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिए जाने के बाद, कोई भी समीक्षा याचिका नहीं होगी जो मूल मामले की पुनः सुनवाई को परिवर्तित कर दे. यह तय किया गया कानून है कि समीक्षा की शक्ति को अपीलीय शक्ति के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता है जो एक उच्च न्यायालय को एक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई सभी त्रुटियों को सुधारने में सक्षम बनाता है. यह एक मूल मामले की पुनः सुनवाई नहीं है। पुराने और अस्वीकृत तर्क की पुनरावृत्ति निष्कर्षित निर्णयों को फिर से खोलने के लिए पर्याप्त नहीं है। समीक्षा की शक्ति का प्रयोग अत्यधिक सावधानी, सावधानी और सावधानी के साथ और केवल असाधारण मामलों में किया जा सकता है।

12. जब मध्यस्थता याचिका की सुनवाई के समय आवेदक द्वारा मध्यस्थ नियुक्त करने की प्रार्थना की गई थी और उसे अस्वीकार कर दिया गया था, तो समीक्षा याचिका दायर करके अप्रत्यक्ष तरीके से उसी राहत की मांग नहीं की जा सकती है। इस तरह की याचिका, मेरी राय में,

'दूसरी पारी' की प्रकृति की है जो अस्वीकार्य और अनुचित है और इसे मंजूर नहीं किया जा सकता है।

20. पैराग्राफ 20.1 और 20.2 में निम्नलिखित सिद्धांतों का सारांश दिया गया है जब समीक्षा बनाए रखने योग्य होगी और समीक्षा बनाए रखने योग्य नहीं होगीः

"20.1. जब समीक्षा बनाए रखने योग्य होगीः

(i) नए और महत्वपूर्ण मामले या साक्ष्य की खोज, जो उचित परिश्रम के अभ्यास के बाद, याचिकाकर्ता की जानकारी में नहीं था या उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकाः

(ii) अभिलेख के सामने स्पष्ट गलती या त्रुटि;

(ग) कोई अन्य पर्याप्त कारण।

"कोई अन्य पर्याप्त कारण" शब्दों की व्याख्या छज्जू राम बनाम नीड ए. आई. आर. 1922 पी. सी. 112 में की गई है और इस न्यायालय द्वारा मोरान मार बासेलियोस कैथोलिकस बनाम मोस्ट रेव. मार पॉलोस एथानासियस ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 526 में अनुमोदित किया गया है, जिसका अर्थ है "कम से कम नियम में निर्दिष्ट आधारों के अनुरूप आधार पर पर्याप्त कारण"। भारत संघ बनाम संदूर मैंगनीज एंड आयरन ऑरेस लिमिटेड (2013) 8 एस. सी. सी. 337 में भी इसी सिद्धांत को दोहराया गया है।

20.2. जब समीक्षा बनाए रखने योग्य नहीं होगीः

(i) पुराने और अस्वीकृत तर्क की पुनरावृत्ति, निष्कर्षित निर्णयों को फिर से खोलने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(ii) अप्रासंगिक आयात की छोटी गलतियाँ।

(iii) पुनरीक्षण कार्यवाहियों की तुलना मामले की मूल सुनवाई से नहीं की जा सकती है।

(iv) समीक्षा तब तक बनाए रखने योग्य नहीं है जब तक कि आदेश के सामने प्रकट भौतिक त्रुटि, इसकी दृढ़ता को कम नहीं करती है या इसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता नहीं होती है।

(v) समीक्षा किसी भी तरह से छद्म रूप में एक अपील नहीं है जिसमें एक गलत निर्णय की फिर से सुनवाई और सुधार किया जाता है, लेकिन केवल पेटेंट त्रुटि के लिए निहित है।

vi) इस विषय पर केवल दो विचारों की संभावना समीक्षा का आधार नहीं हो सकती है।

(vii) रिकॉर्ड पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली त्रुटि ऐसी त्रुटि नहीं होनी चाहिए जिसे बाहर निकालना और खोजना पड़े।

(viii) रिकॉर्ड पर साक्ष्य की सराहना पूरी तरह से अपीलीय अदालत के क्षेत्र में है, इसे समीक्षा याचिका में आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(ix) जब मुख्य मामले पर बहस के समय मांगी गई वही राहत खारिज कर दी गई हो तो समीक्षा कायम नहीं रहती।"

21. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि समीक्षा क्षेत्राधिकार का दायरा, दायरा और मापदंड अच्छी तरह से परिभाषित हैं। आम तौर पर एक आपराधिक कार्यवाही में, समीक्षा आवेदनों को रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटि के आधार के अलावा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, अनुच्छेद 137 के तहत इस न्यायालय को दी गई शक्ति व्यापक है और एक उचित मामले में एक प्रकट अन्याय को कम करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। पुनरीक्षण आवेदन द्वारा एक आवेदक को उन आधारों पर अपील पर फिर से बहस करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जिन पर आपराधिक अपील की सुनवाई के समय आग्रह किया गया था। भले ही आवेदक यह स्थापित करने में सफल हो कि अभियुक्त की दोषसिद्धि या सजा पर एक और दृष्टिकोण संभव हो सकता है जो समीक्षा के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। यह न्यायालय समीक्षा करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग केवल तभी करेगा जब न्यायिक त्रुटि के कारण पहले के निर्णय में कोई स्पष्ट चूक या पेटेंट गलती हो गई हो।

आदेश 40 नियम 1 के साथ पठित अनुच्छेद 137 के तहत समीक्षा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए न्याय की विफलता का कारण बनने वाले रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटि होनी चाहिए। अभिलेख के सामने एक भौतिक त्रुटि प्रकट होनी चाहिए जिसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होती है।

22. जैसा कि ऊपर देखा गया है, समीक्षा क्षेत्राधिकार के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए, अब हम यह पता लगाने के लिए समीक्षा याचिका की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि क्या आवेदकों को दी गई मौत की सजा की पुष्टि करने वाली आपराधिक अपील के फैसले की समीक्षा के लिए ऊपर बताए गए पर्याप्त आधार हैं।

23. विद्वान वकील ने तर्क दिया कि टेप-रिकॉर्ड की गई बातचीत पर साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65 बी के तहत कोई प्रमाण पत्र के बिना भरोसा किया गया है। यह तर्क दिया गया था कि ऑडियो टेप चुंबकीय मीडिया पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, इसे धारा 658 के तहत एक प्रमाण पत्र के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है और प्रमाण पत्र के अभाव में, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का गठन करने वाले दस्तावेज़ को एक वैध सबूत नहीं माना जा सकता है और इसे विचार से अनदेखा किया जाना चाहिए। अनवर पी. वी. बनाम पी. के. बशीरंद अन्य, (2014) जे. ओ. एस. सी. सी. 473 में इस न्यायालय के फैसले पर विद्वान वकील द्वारा

रिलायंस को रखा गया है। शिकायतकर्ता के लैंडलाइन फोन पर एक दुकान में हुई बातचीत शिकायतकर्ता द्वारा रिकॉर्ड की गई थी। वही कैसेट जिसमें बातचीत हुई थी, जिसके द्वारा लैंडलाइन फोन पर फिरौती की कॉल की गई थी, शिकायतकर्ता द्वारा मूल रूप से पुलिस को सौंप दी गई थी। इस न्यायालय ने अपने दिनांकित 25.01.2010 के निर्णय में उपरोक्त तथ्य का उल्लेख किया है और उक्त तथ्य को निम्नलिखित प्रभाव से नोट किया हैः

"जिस कैसेट पर लैंडलाइन पर बातचीत रिकॉर्ड की गई थी, उसे रवि वर्मा ने एस. आई. जीवन कुमार को सौंप दिया था और टेप के रिप्ले पर, बातचीत स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी और पुलिस ने उसे सुना था। "

24. टेप रिकॉर्ड की गई बातचीत गौण साक्ष्य नहीं थी जिसके लिए धारा 65 बी के तहत प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी, क्योंकि यह मूल कैसेट था जिसके द्वारा फिरौती कॉल को टेप-रिकॉर्ड किया गया था, इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के गौण साक्ष्य के प्रवेश के लिए धारा 65 बी द्वारा विचारित प्रमाण पत्र एक अनिवार्य शर्त है। अनवर पी. वी. (ऊपर) में इस न्यायालय ने पैरा 22 में उपरोक्त प्रस्ताव रखा था। हालांकि, उसी फैसले में इस अदालत ने कहा है कि अगर प्राथमिक साक्ष्य पेश किया जाता तो स्थिति अलग होती। शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज की गई बातचीत में धारा 7 के तहत प्रासंगिक फिरौती कॉल

शामिल हैं और यह प्राथमिक सबूत था जिस पर शिकायतकर्ता ने भरोसा किया था। अनवर पी. वी. मामले में इस न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ 24 में यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का उपयोग प्राथमिक साक्ष्य के रूप में किया जाता है तो वह धारा 65 बी की शर्तों का पालन किए बिना साक्ष्य में स्वीकार्य है। पैराग्राफ 24 नीचे दिया गया हैः

"24. स्थिति अलग होती यदि अपीलार्थी घोषणा और गीतों के लिए उपयोग की जाने वाली सीडी को साक्ष्य में उपलब्ध कराकर प्राथमिक साक्ष्य प्रस्तुत करता। यदि आपत्तिजनक गीतों या घोषणाओं के लिए उपयोग की जाने वाली सीडी को पुलिस या चुनाव आयोग के माध्यम से विधिवत जब्त कर लिया गया होता और उसी का उपयोग प्राथमिक साक्ष्य के रूप में किया गया होता, तो उच्च न्यायालय यह देखने के लिए अदालत में ऐसा ही कर सकता था कि क्या आरोप सही थे। इस मामले में ऐसी स्थिति नहीं है। भाषणों, गीतों और घोषणाओं को अन्य उपकरणों का उपयोग करके रिकॉर्ड किया जाता था और उन्हें एक कंप्यूटर में फीड करके, सीडी बनाई जाती थी, जिन्हें बिना उचित प्रमाणन के अदालत में पेश किया जाता था। उन सीडी को साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी की अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 59,65-ए और 65-बी के संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड

के द्वितीयक साक्ष्य पर हमने पूर्ववर्ती पैराग्राफ में जो कुछ भी कहा है, उसके बावजूद, यदि इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का उपयोग साक्ष्य अधिनियम की धारा 62 के तहत प्राथमिक साक्ष्य के रूप में किया जाता है, तो यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी की शर्तों का पालन किए बिना साक्ष्य में स्वीकार्य है। "

25. उन्होंने आगे तर्क दिया है कि रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट के सादे पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि मृत्यु क्लोरोफॉर्म की अधिक मात्रा और पेंटाज़ोसाइन विषाक्तता के कारण हुई थी। इसलिए, दोषसिद्धि आई. पी. सी. की धारा 304 ए के तहत होनी चाहिए थी न कि आई. पी. सी. की धारा302 के तहत। अभिलेख पर संपूर्ण साक्ष्य पर विचार करने के बाद धारा 302 और 364 ए के तहत आवेदकों के खिलाफ दोषसिद्धि दर्ज की गई। इस न्यायालय ने आपराधिक अपीलों को खारिज करते हुए और मृत्यु संदर्भ संख्या I की पुष्टि करते हुए पूरे साक्ष्य की सराहना की है और निचली अदालत और उच्च न्यायालय के फैसले को मंजूरी दी है। आवेदक की दोषसिद्धि ठोस, नेत्र और चिकित्सा साक्ष्य पर आधारित थी और समीक्षा आवेदन में आवेदकों ने फिर से इस न्यायालय से साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने और एक अलग निष्कर्ष पर आने के लिए कहा है। धारा 302 और 364 ए के तहत आवेदकों की दोषसिद्धि दर्ज करने में रिकॉर्ड के चेहरे पर कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं है।

26. यह आगे तर्क दिया जाता है कि इस अदालत ने जसवीर सिंह के प्रकटीकरण बयान पर भरोसा किया था, जिसके कारण शव की बरामदगी हुई, जो प्रकटीकरण बयान विक्रम सिंह को अपराध से नहीं जोड़ता है। निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने नेत्र संबंधी साक्ष्य को तैयार किया जिसके द्वारा अपराध करने में विक्रम सिंह की भूमिका को विधिवत साबित किया गया। अतः यह निवेदन अस्वीकार किए जाने योग्य है।

27. अंत में, श्री के. टी. एस. तुलसी, विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि इस अदालत ने पैराग्राफ 18 में अपना निष्कर्ष दर्ज किया है कि विक्रम सिंह की उंगलियों के निशान ऑल्टो और शेवरले कारों पर पाए गए थे, इसलिए, अपराध में विक्रम सिंह का संबंध स्थापित होता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि इस न्यायालय ने पैरा 18 में दर्ज किया है कि उक्त कारें विक्रम सिंह की हैं, इसलिए अपराध में उनकी दोषीता के संबंध में उंगलियों के निशान का अस्तित्व अपने आप में कोई महत्व नहीं हो सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उंगलियों के निशान पर भरोसा करके, इस न्यायालय ने रिकॉर्ड के चेहरे पर एक स्पष्ट त्रुटि की थी। नामित वकील का उपरोक्त प्रस्तुतिकरण गलत और गलत है। फैसले के पैरा 18 में इस अदालत ने कभी यह नहीं कहा कि ऑल्टो और शेवरले कारें विक्रम सिंह की थीं। पैरा 18 में दिए गए तथ्यों का कथन इस आशय का था कि ऑल्टो और शेवरले कारों के उंगलियों के निशान क्रमशः विक्रम

सिंह और जस्वीर सिंह के हैं। निर्णय के पैरा 18 को नीचे निकालना उपयोगी हैः

"18. हम यह भी पाते हैं कि अभियोजन पक्ष यह दिखाने में सफल रहा है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा ऑल्टो और शेवरले कारों से उठाए गए उंगलियों के निशान क्रमशः विक्रम सिंह और जसवीर सिंह के थे। यह महत्वपूर्ण है कि दर्शन कौर के आवास से बरामद क्लोरोफॉर्म बोतल की भी जांच की गई और उस पर जसवीर सिंह के अंगूठे का निशान पाया गया।"

28. ऑल्टो कार के मालिक, पीडब्लू. 3, नरेश कुमार शर्मा का सबूत है, जिन्होंने अपने बयान में कहा था कि कार उनके द्वारा विक्रम सिंह को 14 फरवरी, 2005 की सुबह लगभग 7 बजे से 7:30 बजे तक उधार दी गई थी। इस प्रकार, यह किसी का मामला नहीं था कि ऑल्टो कार विक्रम सिंह की थी। श्री के. टी. एस. तुलसी द्वारा उठाया गया तर्क गलत है और हम बिना किसी हिचकिचाहट के इसका खंडन करते हैं।

29. विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया है कि वर्तमान ऐसा मामला नहीं था जिसमें आवेदकों को मौत की सजा दी जा सकती थी। पुनरीक्षण याचिका में आवेदकों द्वारा बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) 2 एस. सी. सी. 684 में संविधान पीठ के फैसले और माची सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य (1983) 3 एस. सी. सी. 470 में फैसले पर भरोसा रखा गया है। इस न्यायालय ने बचन सिंह और माची सिंह को संदर्भित अपीलों को

खारिज करते हुए अपने फैसले में उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित विभिन्न मानकों और दुर्लभतम से दुर्लभतम मामले की श्रेणी के मूल्यांकन के लिए निर्णयों से सामने आए व्यापक सिद्धांत पर स्पष्ट रूप से अपना दिमाग लगाया है। उच्च न्यायालय के निर्णय में जिन विभिन्न कम करने वाले और बढ़े हुए कारकों का उल्लेख किया गया है, उन्हें इस न्यायालय द्वारा संदर्भित किया गया था, और इस न्यायालय ने अपना निष्कर्ष दर्ज किया कि उच्च न्यायालय द्वारा बिगड़ती और कम करने वाली परिस्थितियों की बैलेंस-शीट तैयार की गई है जिसे इस न्यायालय द्वारा विधिवत अपनाया गया था। हम उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि करने में इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त विचार में रिकॉर्ड पर कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं पाते हैं।

30. जसवीर सिंह की ओर से पेश विद्वान वकील ने कानूनी मुद्दों और सजा के सवाल पर श्री के. टी. एस. तुलसी की दलीलों को अपनाया। दूसरे आवेदक की ओर से कुछ अन्य प्रस्तुतियाँ की गई हैं जो किसी भी आधार का खुलासा नहीं करती हैं जिसे समीक्षा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए एक वैध आधार कहा जा सकता है।

31. हम, आवेदकों की प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, यह सुविचारित राय रखते हैं कि समीक्षा याचिकाओं में उठाए गए प्रस्तुतियाँ इस न्यायालय के फैसले की समीक्षा के लिए कोई आधार नहीं उठाती हैं।

32. नतीजतन, समीक्षा आवेदन अस्वीकार कर दिए जाते हैं।

समीक्षा आवेदन अस्वीकार कर दिए गए।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक हेमंत सोनी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक एवं आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।